

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 6 राँची, बुधवार 19 फाल्गुन, 1942 (श०)
10 मार्च, 2021 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 54 -- 72

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

पूरक "अ"

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

18 फ़रवरी, 2021

संख्या-1/विविध-849/2015 का०- 1056 -- श्रीमती किरण कुमारी पासी, भा.प्र.से. (झा:2013), परिवहन आयुक्त, झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 22.02.2021 से 05.03.2021 तक कुल 12 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 20.02.2021 से 21.02.2021 तथा दिनांक 06.03.2021 से 07.03.2021 तक सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश का उपभोग करने तथा उक्त अवधि में मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE FEBRUARY 12, 2021

No. 39 A: Sanction is accorded in favour of Sri Ravi Kumar Bhaskar, J.M.1st Class, Godda for encashment of (30+30) = 60 days unutilized Earned Leave equivalent to two month's leave salary admissible for the block years 22.07.2015 to 21.07.2017 & 22.07.2017 to 21.07.2019 under Rule (s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court

Sd/- Nalin Kumar,
Registrar (Administration) I/c

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE FEBRUARY 17, 2021

No. 40 A: Earned Leave of 14 days for the period from 14.09.2020 to 27.09.2020 prefixing 12.09.2020 & 13.09.2020 being Second Saturday & Sunday is granted to Sri Devendra Kumar Pathak, Principal Judge, Family Court, Dumka under Rule (s) 227, 228, 230 & 248 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Sd/- Nalin Kumar,
Registrar (Administration) I/c

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE FEBRUARY 26, 2021

No. 42 A: Earned Leave of 17 days for the period from 23.11.2020 to 09.12.2020 prefixing 10.11.2020 to 21.11.2020 (annual vacation) & Sunday on 22.11.2020 is granted to Sri Rasikesh Kumar, District & Additional Sessions Judge, Latehar under Rule (s) 227, 228, 229 & 230 of the Jharkhand Service Code, 2001.

By order of the Court

Sd/- Nalin Kumar,
Registrar (Administration) I/c

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE FEBRUARY 27, 2021

No. 44 A: Sanction is accorded in favour of Sri Janardan Singh, District & Additional Sessions Judge, Bokaro for encashment of (30+30) = 60 days unutilized Earned Leave equivalent to two month's leave salary admissible for the block years 01.06.2016 to 31.05.2018 & 01.06.2018 to 31.05.2020 under Rule (s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court

Sd/- Nalin Kumar,
Registrar (Administration) I/c

HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI

NOTIFICATION
THE MARCH 01 , 2021

No 45 A: Sanction is accorded in favour of Sri Dinesh Kumar Mishra, District & Additional Sessions Judge, Hazaribag for encashment of (30+30+30+30+30) = 150 days unutilized Earned Leave equivalent to five month's leave salary admissible for the block years 31.05.2010 to 30.05.2012, 31.05.2012 to 30.05.2014, 31.05.2014 to 30.05.2016, 31.05.2016 to 30.05.2018 & 31.05.2018 to 30.05.2020 under Rule (s) 227, 228 & 240 (c) of the Jharkhand Service Code, 2001 and in terms of Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court

Sd/- Nalin Kumar,
Registrar (Administration) I/c

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी0-8003/2013- 03 /सी0,-- श्री नवीन कुमार सिंह, भा0पु0से0 (1996), पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभारः-दक्षिणी छोटानागपुर क्षेत्र, राँची /कोल्हान क्षेत्र, चाईबासा एवं डाल्टेनगंज क्षेत्र पलामू के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिलों में विधि व्यवस्था, अपराध एवं कनीय कार्यालयों के पर्यवेक्षण से संबंधित प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक के निर्धारित सारे दायित्वों के निष्पादन का प्रभार) को भारतीय पुलिस सेवा के अपर पुलिस महानिदेशक (वेतनमान- Level-15 of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।

संख्या-13/पी0-8003/2013- 04 /सी0,-- श्री अखिलेश कुमार झा, भा0पु0से0 (2003), पुलिस उप-महानिरीक्षक, राँची को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस महानिरीक्षक (वेतनमान- Level-14 of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।

संख्या-13/पी0-8003/2013- 05 /सी.,-- श्री अनुप बिरथरे, भा.पु.से. (2007), समादेष्टा, झा॰स॰पु॰-9, साहेबगंज को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान- Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक (बजट), झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।

संख्या-13/पी0-8003/2013- 06 /सी.,-- श्री सुनील भास्कर, भा.पु.से. (2007), पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभारः-पुलिस अधीक्षक, एस॰सी॰आर॰बी॰, झारखण्ड, राँची) को भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान- Level-13A of Pay Matrix) कोटि में प्रोन्नति प्रदान करते हुए अगले आदेश तक पुलिस उप-महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पर पदस्थापित किया जाता है।

प्रोन्नति का आर्थिक लाभ प्रोन्नत पद पर योगदान देने की तिथि से देय होगा।

प्रोन्नत सभी पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी0$_2$-102/2020- 07 /सी0,-- श्री राकेश बंसल, भा0पु0से0 (2007), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8 (5) तथा 8 (6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस उप-महानिरीक्षक (वेतनमान- Level-13A of Pay Matrix) कोटि में इनसे कनीय श्री अनुप बिरथरे, भा0पु0से0 (2007) को विभागीय अधिसूचना सं॰-05 दिनांक-01.01.2021 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

13 नवम्बर, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-113/2020- 4412 -- श्री आर० रामकुमार, भा०पु०से०, पुलिस अधीक्षक (नगर), धनबाद को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11 एवं 20 के तहत दिनांक-12.02.2020 से 02.03.2020 तक कुल-20 (बीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त अवधि के लिए श्री रामकुमार, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी0$_2$-102/2020- 08 /सी0,-- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान- Level-13 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	बैच
1	श्री अनीष गुप्ता, भा०पु०से०	2008
2	श्री अजय लिण्डा, भा०पु०से०	2008
3	श्री दीपक कुमार सिन्हा, भा०पु०से०	2008
4	डा॔० शम्स तबरेज, भा०पु०से०	2008

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

3. प्रोन्नत सभी पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
03 दिसम्बर, 2020 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-124/2019- 4624 -- श्रीमती निधि द्विवेदी, भा0पु0से0 को The All India Services (Leave) Rules, 1955 1955 के नियम 18 (D) के आलोक में दिनांक- 28.11.2020 से 26.01.2021 तक 60 (साठ) दिनों के Child Care Leave की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
11 दिसम्बर, 2020 ई०।

संख्या-14/ए०-06/2020- 4787 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-7674, दिनांक-31.12.2010 के द्वारा श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक के 50% पेंशन पर रोक का दण्ड दिया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध दायर W.P. (S) No.-3019/2011 जितेन्द्र प्रसाद शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में श्री जितेन्द्र प्रसाद शर्मा, सेवानिवृत पुलिस उपाधीक्षक के पेंशन में से 50% की जगह 35% राशि की कटौती, अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूनम प्रभा पूर्ति,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

31 दिसम्बर, 2020 ई०।

संख्या-13/पी$_2$-102/2019- 5062 /सी०,-- भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक-01.01.2020 के प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटीव ग्रेड के वेतनमान-Level-12 of Pay Matrix में प्रोन्नति प्रदान की जाती हैः-

क्र॰	पदाधिकारी का नाम	बैच
1	सुश्री कुसुम पुनिया, भा0पु0से0	2010
2	श्री प्रियदर्शी आलोक, भा0पु0से0	2011

II. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

21 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-102/2018- 331 -- स्व॰ आलोक, भा॰पु॰से॰, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, खूँटी को The All India Services (Leave) Rules, 1955 के नियम 12 के आलोक में दिनांक-08.03.2020 से 28.07.2020 तक कुल 143 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
31 दिसम्बर, 2020 ई०।

संख्या-13/पी$_2$-102/2019- 5063 /सी.,-- श्रीमती जया राॅय, भा॰पु॰से॰(2011), संप्रति केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-8(5) तथा 8(6) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा के जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के वेतनमान- Level-12 of Pay Matrix में इनसे कनीय श्री प्रियदर्शी आलोक, भा0पु0से0 (2011) को विभागीय अधिसूचना सं॰-5062, दिनांक-31.12.2020 द्वारा दी गयी प्रोन्नति के फलस्वरूप दिनांक-01.01.2020 के प्रभाव से प्रोफार्मा प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
22 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी$_1$-8002/2013 (खंड)-1008 /सी0,-- श्री नीरज सिन्हा, भा0पु0से0 (1987) महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखंड, राँची (HoPF) अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखंड, राँची के प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

राज्यादेश

02 मार्च, 2021

संचिका संख्या-**2/**रा**0**स्था**0 (SAR**) सृजन-**46/15-1005/**रा**0,--**

सेवा में**,**

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड**,** पो**0-**डोरण्डा**,** राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**25.02.2021** में मद संख्या-**10** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राँची जिला में विशेष विनियमन पदाधिकारी हेतु **02 (**दो) अतिरिक्त पदों का वित्तीय वर्ष **2020-21** से वित्तीय वर्ष **2024-2025 (**पाँच वर्ष की अवधि) हेतु सृजन के संबंध में।

आदेशः- स्वीकृत।

i) उक्त विशेष विनियमन पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी या समकक्ष स्तर के होंगे एवं झारखण्ड प्रशासनिक सेवा संवर्ग बल के अधीन होंगे।

ii) उक्त प्रस्तावित पदों एवं उनपर एक वर्ष हेतु अनुमानित व्यय की विवरणी निम्नांकित है-:

(रूपये में)

क्र0	पदनाम	पे-बैण्ड	लेवल	पदो की संख्या
1.	विशेष विनियमन पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी या समकक्ष स्तर)	15600-39100	11	02 (दो)

एक वर्ष हेतु अनुमानित व्यय राशि की विवरणी :-

क्र0	वेतन (वेतन+ग्रेड पे)	महंगाई भत्ता (2)	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	कुल (B+C+D+E)	एक वर्ष के लिए अनुमानित व्यय (FX12X2)
A	B	C	D	E	F	G
1.	74000	12580	11840	1000	99420	2386080

अर्थातः कुल तेईस लाख छियासी हजार अस्सी रूपये मात्र।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अभिषेक श्रीवास्तव,
सरकार के संयुक्त सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

कार्यालय आदेश

03 मार्च, 2021

का0आ0सं0-3/अ0क्षे0स्था0-(ACP) पत्राचार-19/2013 - 1034 (3)/रा0-- राज्य कर्मियों को ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्तीय विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं**0-5207/**वि**0.,** दिनांक-**14.08.2002** तथा एम.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्तीय विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प सं**0-2981/**वि., दिनांक-**01.09.2009,** पत्रांक-**1117/**वि., दिनांक-**03.06.2011** एवं संकल्प संख्या-**1779/**वि., दिनांक-**21.05.2014** एवं संकल्प सं**0-2322,** दिनांक-**26.10.2012** में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. अंतर्गत संवर्गीय पद पर योगदान की तिथि से **12/24** या **10/20/30** वर्षों के नियमित सेवा पूरी करने के फलस्वरूप उनके नाम के सामने स्तम्भ-**4** में उल्लेखित वेतनमान एवं तिथि से तृतीय एम.ए.सी.पी की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र	कर्मचारी का नाम	नियुक्ति की तिथि	स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की तिथि एवं वेतनमान
1	**2**	**3**	**4**
1	श्री अनिल कुमार गुप्ता, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या0-रामगढ़ सदर।	14.06.1990	**3rd MACP** दिनांक-14.06.2020 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800
2	श्री राजेश कुमार, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या0-पतरातू, रामगढ़।	14.06.1990	**3rd MACP** दिनांक-14.06.2020 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800
3	श्री सुशील कुमार तिवारी, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या0-रमना, गढ़वा।	14.02.1989	**3rd MACP** दिनांक-14.02.2019 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800
4	श्री ललिता बैठा, अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो, अंचल कार्या0-रमकण्डा, गढ़वा।	06.05.1988	**3rd MACP** दिनांक-06.05.2018 के प्रभाव से, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड-पे 4800

2. यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है एवं निम्नांकित शर्त्तों के अधीन देय है :-

I. ACP योजना दिनांक-09.08.1999 से दिनांक-31.08.2008 तक प्रभावी है, किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक-15.11.2000 से देय होगा। दिनांक-01.09.2008 के बाद MACP योजना प्रभावी है।

II. यह वित्तीय उन्नयन विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत होगा, जिसका वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा। तद्नुसार सम्वर्ग में कनीय कर्मी को ACP/MACP योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान प्राप्त होने के आधार पर वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

III. उक्त सूची में अंकित अंचल निरीक्षक-सह-कानूनगो के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटियाँ पायी जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ACP/MACP योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

IV. वित्त विभाग के संकल्प सं0-1779/वि0, दिनांक-21.05.2014 की कंडिका-5(v) के आलोक में वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा। वेतन निर्धारण का सत्यापन उक्त संकल्प की कंडिका-5(vii) में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा। योजना-सह- वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत वित्तीय उन्नयन की राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

V. प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं विभागीय अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

अवध नारायण प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

01 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी$_2$-102/2020- 09 /सी0,-- डॉ० एम. तमिल वाणन, भा0पु0से0 (2008), वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को इस शर्त के साथ भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान-Level-13 of Pay Matrix) में दिनांक-01.01.2021 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है कि इनको उपलब्ध कराये गये प्रशिक्षण के अगले स्लाॅट में इनके द्वारा मिड कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम फेज-III प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

08 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/डी$_1$-104/2020- 107 /सी0,-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21016/15/2020-IPS.III, दिनांक-20.10.2020 के आलोक में **श्री कुलदीप द्विवेदी, भा.पु.से. (2005),** पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस॰टी॰एफ), राँची को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप-महानिरीक्षक (DIG), आई॰टी॰बी॰पी॰ के पद पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

शुद्धि-पत्र
22 दिसम्बर, 2020 ई०।

संख्या-08/F.S.L (07)-14/2019- 4308 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक-18.10.2019 द्वारा गठित राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली-2019 के परिशिष्ट-1 में सहायक निदेशक/वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी के पदों को सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति से भरे जाने वाले नियमावली के पंक्ति 01 के स्तम्भ 04 में उल्लेखित "सीधी भत्ती होने वाले के लिए 1ली जनवरी को उम्र सीमा" के स्थान पर "सीधी भत्ती होने वाले के लिए उम्र सीमा 01 अगस्त" पढ़ा जाय।

2. उक्त नियमावली के इस हद तक संशोधित समझा जाय।

3. शेष अंश यथावत् रहेंगे।

ह०/-

अनिलसन लकड़ा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
01 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/आई०पी.एस.-114/2020- 585 -- श्री अखिलेश बी॰ वारियर, भा0पु0से0, सम्प्रति अध्ययन अवकाश में को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-11.08.2020 से 04.09.2020 तक कुल- 24 (चैबीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/डी$_1$-105/2014- 545 /सी0,-- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-I-21016/15/2020-IPS.III, दिनांक-20.10.2020 के आलोक में **श्री साकेत कुमार सिंह, भा०पु०से० (2002),** पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची {अतिरिक्त प्रभार-पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ), राँची तथा पुलिस उप-महानिरीक्षक, एस०आई०बी०, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची} को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर उप-महानिरीक्षक (DIG), सी०आर०पी०एफ० के पद पर योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

29 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/आई०पी०एस०-102/2019- 546 /सी0, श्रीमती सुजाता कुमारी वीणापाणि, भा०पु०से० (JH:2014), समादेष्टा, झा०स०पु०-04, बोकारो {अतिरिक्त प्रभार-समादेष्टा, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो} को गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-I-11014/11/2020-IPS. IV, दिनांक-04.11.2020 के आलोक में विवाह के आधार पर झारखण्ड से पश्चिम बंगाल संवर्ग स्थानांतरण के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल संवर्ग में योगदान देने हेतु वर्तमान धारित पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
04 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-06/अभि०(स०लो०अभि०)-05/2018- 552 -- श्रीमती पल्लवी सिंह, सहायक लोक अभियोजक, जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को उनसे प्राप्त आवेदन दिनांक-28.11.2020 जो उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक-1057/स्था०, दिनांक-14.12.2020 से प्राप्त है के आलोक में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-1997, दिनांक-01.07.2010 के तहत् दिनांक-01.12.2020 से 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना
06 जनवरी, 2021 ई०।

संख्या-13/पी$_2$-104/2019- 74 /सी०,-- श्री पटेल मयूर कनैयालाल, भा0पु0से0 (2007), समादेष्टा, झा०स०पु०-8, पलामू (अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, आई०आर०बी०-10, पलामू को भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान-Level-13 of Pay Matrix में दिनांक-01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

2. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वत्र्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा।

3. प्रोन्नत पदाधिकारी FR-22 के प्रावधान के तहत् वेतन निर्धारण हेतु अधिसूचना निर्गत तिथि से 30 दिनों के अन्दर आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2021 ई०।

संख्या-07/हो०गा० (स्था०)-101/2021- 825 -- श्री रवि कुमार कुजूर, जिला समादेष्टा, बोकारो (अतिरिक्त प्रभार रामगढ़) को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला समादेष्टा, हजारीबाग (अतिरिक्त प्रभार-क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हजारीबाग) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के जवानों का मानदेय/भत्ता के सुचारू रूप से भुगतान हेतु श्री कुजूर को रामगढ़ एवं हजारीबाग जिलों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में भी प्राधिकृत किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 6 -- 50 ।